



राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)
एकलव्य भवन

डॉ० एस० राधाकृष्णन्, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
फोन:-0141-5150938, फैक्स :-0141-2705067

website:<http://www.rsos.rajasthan.gov.in>

e-mail:rajasthansos@gmail.com

परिवहन कार्य

हेतु
ई-निविदा

प्रपत्र

2016-2017



राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)
एकलव्य भवन

डॉ० एस० राधाकृष्णन्, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
फोन:—0141—5150938, फैक्स :—0141—2705067

website:<http://www.rsos.rajasthan.gov.in>

e-mail:rajasthansos@gmail.com

विषय सूची

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	निविदा आमंत्रित करने वाला नोटिस	3
2	निविदा भरने के सामान्य निर्देश एवं शर्तें	4—9
3	ठेकेदार द्वारा घोषणा	10
4	बिड डाटा शीट	11—12
5	वित्तीय विड	13—14
6	करार पत्र नमूना	15—16



राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)
एकलव्य भवन

डॉ० एस० राधाकृष्णन्, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

फोन:-0141-5150938, फैक्स :-0141-2705067

website:<http://www.rsos.rajasthan.gov.in>

e-mail:rajasthansos@gmail.com

निविदा प्रपत्र
परिवहन कार्य हेतु ई-टेंडर प्रपत्र

1	कार्य का नाम	परिवहन कार्य हेतु
2	निविदा संख्या	05
3	निविदा की अनुमानित लागत :	लगभग 30 लाख
4	बोली प्रतिभूति राशि (निविदा राशि का 2 %)	60 हजार रुपये
5	टेंडर शुल्क	400 रुपये
6	प्रक्रिया शुल्क	500 रुपये
7	ऑनलाईन निविदा फार्म डाउनलोड करने की दिनांक	16.12.2016 से 02.01.2017 तक समय:- सांय 3:00 बजे http://www.rsos.rajasthan.gov.in
8	ऑनलाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनांक	16.12.2016 से 02.01.2017 तक समय:- सांय: 5.00 बजे
9	बोली प्रतिभूति राशि, एवं टैण्डर फीस का डी.डी., निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के पक्ष में एवं प्रक्रिया शुल्क का डी.डी. मैनेजिंग डॉयरेक्टर आर.आई.एस.एल, जयपुर के पक्ष में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय।	02.01.2017 को समय:- सांय 5:00 बजे तक
10	ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	03.01.2017 को अपराह्न 3.00 बजे
11	निविदा खोलने का स्थान	RSOS कार्यालय, जयपुर
12	निविदा की वैधता	90 दिवस
13	निविदा आमंत्रित करने वाला अधिकारी	निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
14	सम्पर्क	दूरभाष :- 0141- 2705067

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

निविदा भरने के सामान्य निर्देश एवं शर्तें

(परिवहन हेतु)

परिभाषाएं (Definitions) : –

निविदा एवं अनुबंध की शर्तों में अथवा निविदा प्रपत्र में जहां-जहां निम्नलिखित शब्द/शब्द-समूह प्रयुक्त हुए हैं, उनका प्रयोग निम्नांकित अर्थों में माना जायेगा:—

- | | |
|----------------------------|---|
| (क) 'ठेकेदार' का अर्थ है | — बोलीदाता / निविदादाता |
| (ख) 'ओपन स्कूल' का अर्थ है | — राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर |
| (ग) 'अध्यक्ष' का अर्थ है | — अध्यक्ष निष्पादक मण्डल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर |
| (घ) 'निदेशक' का अर्थ है | — निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर |
| (ङ) 'सचिव' का अर्थ है | — सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर |
| (च) 'क्षमता' का अर्थ है | — परिवहन कार्य की क्षमता |
1. निविदा प्रपत्र का भलीभांति अध्ययन करने के उपरान्त ही दरें पूर्ण रूप से Excel फॉरमेट में जिलेवार ऑनलाईन (Online) भरनी होंगी।
 2. न्यूनतम दरदाता का निर्धारण जिलेवार किया जावेगा।
 3. निविदा केवल ऑनलाईन ही मान्य होंगी।
 4. ठेकेदार टैण्डर प्रपत्र राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की वैबसाईट <http://www.rsos.rajasthan.gov.in> पर देख सकते हैं एवं वेबसाईट <https://eproc.rajasthan.gov.in> से देख, डाउनलोड कर सकते हैं।
 5. ठेकेदार को सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 के तहत डिजीटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। जिनके प्रस्ताव पर डिजीटल हस्ताक्षर नहीं होंगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
 6. बोली प्रतिभूति – ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार वांछित अमानत राशि डी.डी. / बैक गारन्टी न्यूनतम 1 वर्ष अथवा कार्य समाप्ति तक जो भी बाद में हो, के लिये निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के नाम से देनी होगी। डी.डी. की स्कैन कॉपी ऑनलाईन अपलोड करनी होगी।

(ठेकेदार के पूरे हस्ताक्षर)
फर्म की रबड़ मोहर

(i) परिवहन कार्य हेतु :—बोली प्रतिभूति रु 60,000/-

(ii) निविदा फीस, प्रक्रिया शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के डी.डी. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल को निविदा खोलने से पहले पृथक लिफाफे में Physically उपलब्ध कराने होंगे, उक्त डी.डी. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर को उपलब्ध न कराने पर निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। निविदा फीस डी.डी. रूपये 400/- एवं अमानत राशि रूपये 60,000/- का डी.डी. निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के नाम, प्रक्रिया शुल्क का डी.डी. रूपये 500/- Managing Director, RISL, Jaipur के नाम से देय होंगे।

नोट:- राजस्थान राज्य की एस.एस.आई. इकाई से बोली प्रतिभूति राशि निविदा मूल्य का 0.5 प्रतिशत तथा रुग्ण उद्योगों की दशा में (एस.एस.आई से भिन्न) जिनके मामले में औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह निविदा मूल्य का 1 प्रतिशत होगी। इन इकाईयों को इस बाबत जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी हुआ प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाइन स्कैन कर अपलोड करनी होगी। जिसके आधार पर धरोहर राशि में निर्धारित छूट देय होगी।

7. ठेकेदार को निविदा ऑनलाइन निम्नानुसार प्रस्तुत करनी होगी:—

(i). वित्तीय निविदा प्रपत्र में ठेकेदार को दरें, वेबसाईट <https://eproc.rajasthan.gov.in> से Excel फॉरमेट में ऑनलाइन भरनी होंगी। दरें भरते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए दरें भरी जानी चाहिए:—

(अ)परिवहन व्यय : पुस्तकों एवं उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा बताये गये निर्दिष्ट स्थान पर करने, लोडिंग एवं अनलोडिंग आदि के समस्त व्यय ठेकेदार को वहन करने होंगे।

(ब) कर : स्थानीय कर, राज्य कर, केन्द्रीय कर, चुंगी, टोल टैक्स आदि समस्त करों को सम्मिलित कर वित्तीय बोली प्रपत्र में दर्शाए जाएंगे।

(ठेकेदार के पूरे हस्ताक्षर)
फर्म की रबड़ मोहर

(स) **बीमा व्यय** : ठेकेदार द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के गोदाम से पुस्तकों एवं उत्तर पुस्तिकाओं का परिवहन करने पर होने वाली आकस्मिक हानि से सुरक्षा के लिए समस्त बीमा व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किये जायेंगे। परिवहन में ओपन स्कूल के माल की किसी प्रकार की हानि के लिये ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

(द) निविदा की दरें किलोग्राम के आधार पर जिलेवार प्रस्तुत करनी होगी जिसमें समस्त कर एवं व्यय सम्मिलित होंगे।
(य) दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएंगी।

8. यदि ठेकेदार ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो ऐसी शर्तें मान्य नहीं होंगी एवं वह स्वतः ही निरस्त मानी जायेंगी, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति में विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो।
9. ठेकेदार अपनी निविदा को या उसके किसी सारવान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उपभाड़े (सब लेट) पर नहीं देगा।
10. ठेकेदार/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कराने की अनैतिक चेष्टा की जाती है तो ऐसे ठेकेदार की निविदा को अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
11. ठेकेदार के पास परिवहन विभाग का रोड परमिट एवं परिवहन कार्य करने की आवश्यक अनुमति होना आवश्यक है, जिसे ठेकेदार को निविदा भरते समय भी निविदा में उक्त की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
12. सफल ठेकेदार को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर से कार्य संबंधी आदेश प्राप्त करने होंगे तथा मुद्रित सामग्री राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के गोदाम से आदेशित सामग्री गिनकर प्राप्त करनी होगी। प्राप्त सामग्री को मजबूत पॉलीपैक में आवश्यकतानुसार पैकिंग के पश्चात् इनका कांटे पर वजन RSOS. द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष करवाना होगा तथा वजन का प्रमाणिकरण भी उक्त अधिकारी द्वारा किया जायेगा। तत्पश्चात् इन्हें गन्तव्य स्थान/स्थानों पर शीघ्रता से निर्धारित समय सीमा में पहुंचाना होगा, जिसके लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के कार्यालय से सफल ठेकेदार को समय—समय पर दिशा—निर्देश जारी किये जावेंगे एवं चाहें तो सफल ठेकेदार भी व्यक्तिशः राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के कार्यालय से निर्देश प्राप्त कर सकेंगे। मुद्रित सामग्री राजस्थान राज्य में स्थापित सन्दर्भ/नोडल केन्द्रों एवं परीक्षा केन्द्रों पर भेजनी होगी।
13. भेजी गयी सामग्री संबंधित सन्दर्भ/नोडल केन्द्रों एवं परीक्षा केन्द्रों पर समुचित रूप से सुरक्षित ढंग से पहुंचे इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। ठेकेदार यदि उचित समझे तो सामग्री का दुर्घटना/क्षति आदि के लिए बीमा करवा सकता है। बीमा पर होने वाला व्यय ठेकेदार द्वारा ही किया जावेगा। परिवहन के दौरान सामग्री को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता हैं तो उस संबंध में पुस्तकों का मूल्य एवं निदेशक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर द्वारा निर्धारित पैनलटी की वसूली परिवहन कम्पनी से की जावेगी।
14. ठेकेदार परिवहन कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 5 दिवस में अपने परिवहन कार्य के बिल एवं बिलिट्यां मय सामग्री प्राप्ति रसीद जिस पर संदर्भ केन्द्र प्रभारी/परीक्षा केन्द्र प्रभारी का पदनाम एवं सील एवं दिनांक सहित अंकित हो 3 प्रतियों में इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। सामग्री सही/समुचित रूप से पहुंचाने की सन्तुष्टि के पश्चात् ही बिलों का भुगतान किया जावेगा।

(ठेकेदार के पूरे हस्ताक्षर)
फर्म की रबड़ मोहर

15. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर निविदा में अंकित कार्य अनुमोदित फर्म (ठेकेदार) से नहीं करवाता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा/राशि का कार्य करवाता है तो ठेकेदार किसी क्षतिपूर्ति का कलेम करने का हकदार नहीं होगा।
16. कार्य की अनुमानित लागत 30 लाख रूपये संभावित हैं जिसमें कमी अथवा वृद्धि परिस्थितियों के अनुसार की जा सकती हैं।
17. सामग्री की पैकिंग/लोडिंग/परिवहन एवं अनलोडिंग के समय सामग्री, खराब/क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। वर्षा, आंधी आदि से बचाने के लिए तिरपाल आदि से ढकने की व्यवस्था समुचित ढंग से करनी होगी, ताकि पुस्तकें/प्रपत्र आदि वर्षा से खराब न हों अन्यथा ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करनी होगी।
18. ठेकेदार को कार्य का अग्रिम भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा। कार्य सन्तोषप्रद ढंग से पूर्ण होने पर सामग्री की प्राप्ति रसीद ठेकेदार द्वारा बिल के साथ प्रस्तुत करने पर 80 प्रतिशत भुगतान कर दिया जायेगा। तथा शेष 20 प्रतिशत भुगतान कार्य पूर्ण होने पर किया जाएगा। ठेकेदार के भुगतान से स्त्रोत पर आयकर की कटौती आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिल पर की जाएगी। बिल पर पेन नम्बर अंकित नहीं होने एवं पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न नहीं होने की दशा में 20% आयकर की कटौती की जावेगी।
19. (i) राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा सामग्री उपलब्ध कराने की दिनांक से 15 दिवस में आदेशित संदर्भ केन्द्रों (राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के सन्दर्भ केन्द्रों पर) में निर्धारित स्थान पर पहुँचानी आवश्यक है। कार्यादेश निदेशक/सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा लिखित अथवा दूरभाष पर दिया जा सकता है।
(ii) सामग्री उपलब्ध होने पर फर्म को रजिस्टर्ड डाक अथवा दूरभाष से सूचित किया जावेगा एवं रजिस्टर्ड डाक अथवा दूरभाष पर सूचना की दिनांक से सामग्री RSOS. से उठाकर संदर्भ केन्द्रों एवं परीक्षा केन्द्रों पर भेजनी होगी।
20. उपरोक्त निर्धारित समय में सामग्री नहीं पहुँचाई जाती है तो विभाग अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था से सामग्री पहुँचाने की कार्यवाही कर सकेगा। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा किये गये अधिक व्यय की वसूली अनुबंधित ठेकेदार से की जावेगी।
21. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर निम्नानुसार विलम्ब शुल्क भी वसूल किया जायेगा।
 1. निर्धारित अवधि में चौथाई अवधि तक विलम्ब होने पर 2.5 प्रतिशत ।
 - 2 चौथाई अवधि से अधिक तथा आधी अवधि तक विलम्ब होने पर 5 प्रतिशत
 3. आधी अवधि से तीन चौथाई अवधि तक विलम्ब होने पर 7.5 प्रतिशत
 4. तीन चौथाई अवधि से निर्धारित अवधि के बराबर तथा अधिक होने पर अधिकतम 10 प्रतिशत।

यदि अनुमोदित ट्रांसपोर्टर/कोरियर एजेंसी, कोई प्राकृतिक/नैसर्जिक बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में (जो नियन्त्रण से परे की हो) परिवहन कार्य पूर्ण करने के लिए समय बढ़ाने की अपेक्षा करे तो वह इसके लिए निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर को निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण होने से पूर्व लिखित आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिस पर निदेशक RSOS. अपने सम्यक विवेकानुसार निर्णय ले सकेगा एवं उसका निर्णय/निश्चय अंतिम एवं मान्य होगा। समयावृद्धि हेतु परिवहन कार्य की निर्दिष्ट कालावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पर कोई विचार नहीं होगा।

(ठेकेदार के पूरे हस्ताक्षर)

फर्म की रबड़ मोहर

22. (1) करार एवं प्रतिभूति निष्केप (Agreement and Security Deposit)

- (i) सफल ठेकेदार को दरें अनुमोदन का पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा जावेगा एवं रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने की दिनांक से 07 दिवस में स्वयं के खर्च पर एक करार रु 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल पेपर पर निष्पादित करना होगा। करार पत्र का प्रारूप निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।
- (ii) न्यूनतम दरदाता को 5 लाख रु. की बैंक गारण्टी अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी जो निदेशक RSOS. के पक्ष में देय होगी। बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने पर जमा बयाना राशि वापस कर दी जायेगी।
- (iii) प्रतिभूति राशि के रूप में जमा बैंक गारण्टी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- (2) प्रतिभूति निष्केप का समपहरण (Forfeiture)**
- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।
- (i) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ii) जब ठेकेदार परिवहन कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (iii) प्रतिभूति निष्केप को समपहरण करने के लिए मामले में युक्तियुक्त समय पर पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में निदेशक RSOS. का निर्णय अन्तिम होगा।
- (3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।**

23. बयाना राशि का समपहरण (Forfeiture)

- निम्नलिखित मामलों में बयाना राशि को जब्त / समपहरण किया जा सकेगा—
- (i) जब ठेकेदार निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार किये जाने से पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता है या उसमें उपान्तरण (Modification) करता है।
- (ii) यदि वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार का निष्पादन नहीं करता है।
- (iii) जब वह विहित समय के भीतर प्रतिभूति जमा नहीं करता है।
- (iv) क्रय आदेश देने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करता है, अथवा निविदा शर्तों की पालना करने में असमर्थ रहता है।
24. सफल निविदाकार की स्वीकृत दरें अनुबंध की दिनांक से आगामी 01 वर्ष के लिए स्वीकृत की जावेगी। इस अवधि को आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
25. निविदा को न्यूनतम दर पर स्वीकृत किया जायेगा। विभाग गुणावगुण के आधार पर न्यूनतम दर से भिन्न अन्य उच्च दर पर कार्य करवा सकता है।
यह कार्य किसी एक निविदाकार अथवा एक से अधिक निविदाकार को स्वीकृत करने का अधिकार विभाग के पास आरक्षित रहेगा।

(ठेकेदार के पूरे हस्ताक्षर)

फर्म की रबड़ मोहर

26. परिवहनकर्ता के वाहन के नियमानुसार परिवहन विभाग द्वारा प्रदत्त परमिट रोड टैक्स भुगतान प्रमाण पत्र एवं वाहन बीमा आदि पूर्ण होना आवश्यक हैं। अपूर्णता की स्थिति में सामग्री के परिवहन में हुए विलम्ब के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
27. राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित भार क्षमता के अनुरूप सामग्री की लोडिंग की जावेगी। निर्धारित क्षमता से अधिक सामग्री की लोडिंग करने पर अतिरिक्त परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
28. ट्रक के साथ त्रिपाल, रस्से एवं मजदूर आदि की समस्त व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। सामग्री ट्रक में क्षतिग्रस्त हो जाने पर पुस्तक में लागत के अनुसार कटौती एवं पेनलटी (जो निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा निर्धारित की जावेगी) देय भुगतान से की जावेगी।
29. समस्त कानूनी कार्यवाही के लिए न्याय क्षेत्र मुख्यालय जयपुर होगा।
30. ठेकेदार निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा एवं इसे ठेकेदार निविदा की क्वालिफाइंग बिड में आवश्यक रूप से संलग्न करेगा।
31. किसी भी ठेकेदार की निविदा को स्वीकार करना अथवा नहीं करने का अधिकार निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर को होगा।
32. निविदा स्वयं वाहनों के मालिक/अनुभवी परिवहनकर्ता अधिकृत प्रतिनिधि जिसके पास लिखित में वाहन मालिक द्वारा देय अधिकार पत्र होगा, के द्वारा भरी जानी चाहिए।
33. ठेकेदार को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट अहस्तान्तरणीय होगा और किसी को भी इस बाबत उप कॉन्ट्रैक्टर (Sub Contractor) नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी भी स्तर पर ऐसा होना पाया गया तो अमानत राशि/धरोहर राशि जब्त कर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा।
34. सर्वानुसार निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
35. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अध्यक्ष, निष्पादक मण्डल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
36. उक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में निर्धारित अन्य शर्तें एवं प्रावधान भी ठेकेदार को मान्य होंगे।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

ठेकेदार फर्म का नाम

पता

टेलीफोन नं.

मोबाइल नं.

फैक्स नं.

ई—मेल

ठेकेदार द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने पाठ्यसामग्री एवं अन्य सामग्री के परिवहन कार्य के लिए फर्म मैसर्सके नाम से निविदा दी है उनका/उनके मैं/हम निजी स्वामित्व का अधिकार रखता हूँ/रखते हैं इसका सक्षम विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण—पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न हैं।

ठेकेदार के हस्ताक्षर मय मोहर



राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

BID-DATA SHEET

1. विषय— राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर परिवहन कार्य हेतु ई—निविदा प्रपत्र 2016—17 के लिए
2. (1) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूर्ण पता

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(2) दूरभाष नम्बर ऑफिस निवास

मोबाइल फैक्स ई—मेल

3. निविदा प्रेषण: निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के पते पर।
4. सन्दर्भ :— निविदा सूचना दिनांक
5. निविदा शुल्क की राशि रु. 400/- (अक्षरे रु. चार सौ मात्र) जमा करा दी गई। (डिमाण्ड ड्राफ्ट/रोकड रसीद संख्या दिनांक)
6. निविदा सूचना दिनांक जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के द्वारा जारी की गई हैं, में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न प्रपत्र में दी गई हैं (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रतिस्वरूप, हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं) का भी पालन करने के लिए सहमत हैं।
7. अमानत राशि हेतु निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के पक्ष में रु. (अक्षरे) ड्राफ्ट/रसीद संख्या दिनांक द्वारा जमा करा दी गई है।
8. प्रक्रिया शुल्क की राशि रु. 500/- (अक्षरे रु. पांच सौ मात्र) मैनेजिंग डॉयरेक्टर, आर.आई.एस.एल, जयपुर के पक्ष में रु. (अक्षरे) ड्राफ्ट/रसीद संख्या दिनांक द्वारा जमा करा दी गई है।

ठेकेदार के हस्ताक्षर मय मोहर

9. बैंक खाते संबंधी विवरण :—

- (क) खाता संख्या
- (ख) खाते का प्रकार
- (ग) बैंक का नाम
- (घ) शाखा का नाम
- (ड) बैंक का IFS कोड

दिनांक :

ठेकेदार के हस्ताक्षर मय मोहर



राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

वित्तीय बिड़

1. पाठ्यसामग्री, उत्तर-पुस्तिकाएं एवं अन्य पाठ्य सामग्री, मजबूत पॉलिपैक में पैक करने के पश्चात् परिवहन (मय मजदूरी) की दरें समस्त कर सहित निम्नानुसार जिलेवार प्रस्तुत करें।
2. गत तीन वित्तीय वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16) निविदा के साथ संलग्न करनी आवश्यक है।
3. गत तीन वित्तीय वर्षों की आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करें।
4. ठेकेदार को सभी जिलों हेतु दरें प्रस्तुत करनी होगी तथा **L 1** का निर्धारण जिलेवार होगा।
5. सामग्री RSOS. से प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें मजबूत पॉलीपैक के बोरो में पैक करना होगा।
6. पैक की हुई सामग्री निर्देशित स्थानों पर, परिवहनकर्ता द्वारा प्राप्त करने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में पहुंचानी होगी।
7. स्टेट ओपन स्कूल द्वारा भिजवायी गयी समस्त सामग्रियों की प्राप्ति रसीद 3 प्रतियों में संबंधित केन्द्र के संस्था प्रधान/परीक्षा प्रभारी के हस्ताक्षर मय मोहर व दिनांक सहित आरएसओएस, कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
8. परिवहनकर्ता को प्राप्ति रसीद की प्रतियां (नमूना सहित) RSOS. द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
9. दरों में पोली पैक का व्यय, पैकिंग सामग्री, व पैकिंग कार्य, मजदूरी (लोडिंग/अनलोडिंग व्यय), कर आदि परिवहन व्यय में सम्मिलित होंगे।

क्र. सं.	जिले का नाम	संदर्भ केन्द्रों की संख्या	परीक्षा केन्द्रों की संख्या	पूर्व का अनुमानित वजन	पाठ्य सामग्री भिजवाने की दर प्रति किलोग्राम
		सत्र 2016–17 के अनुसार	परीक्षा माह मार्च–मई 2016 के अनुसार	(किलो ग्राम में)	(समस्त कर सहित)
			(अनुमानित)		रु. अंकों में
1	NIOS. नोएडा दिल्ली के गोदाम से RSOS. जयपुर के गोदाम तक			8450	
2	अजमेर	22	25	38426	
3	अलवर	19	4	4936	
4	बाँसवाड़ा	9	5	7444	
5	बाढ़मेर	11	15	15875	
6	भरतपुर	9	1	332	
7	भीलवाड़ा	35	42	51927	
8	बीकानेर	9	5	5721	
9	बून्दी	6	6	8563	

10	चित्तौड़गढ़	28	33	41932		
11	चूरू	9	2	2883		
12	झूंगरपुर	14	14	22879		
13	जयपुर	54	20	23797		
14	जैसलमेर	4	3	2246		
15	जालौर	9	10	9649		
16	झुंझुनू	7	1	413		
17	झालावाड़	9	10	11025		
18	जोधपुर	20	5	6019		
19	कोटा	12	2	4639		
20	नागौर	14	4	5000		
21	पाली	20	22	35222		
22	सवाईमाधोपुर	9	5	4345		
23	सीकर	7	2	1685		
24	सिरोही	24	20	27001		
25	श्रीगंगानगर	13	5	7599		
26	टोंक	9	6	7415		
27	उदयपुर	27	33	47061		
28	धौलपुर	2	0	5		
29	दौसा	14	6	7145		
30	बारां	10	5	4691		
31	राजसमन्द	17	17	23553		
32	हनुमानगढ़	6	1	1250		
33	करौली	9	2	2405		
34	प्रतापगढ़	9	13	19317		

नोट:- उक्त वर्णित वजन में कमी/वृद्धि हो सकती है।

Signature of Contractor
with Seal

इकरारनामा

यह इकरारनामा दिनांक को एक ओर RSOS जयपुर जरिये निदेशक RSOS. जयपुर इस प्रलेख में प्रथम पक्षकार (प्रबन्धक) कहा गया है एवं दूसरी ओर मैसर्स जरिए मालिक/भागीदार/अधिकृत प्रतिनिधि श्री श्री उम्र निवासी जिसे इस प्रलेख में आगे द्वितीय पक्षकार/परिवहनकर्ता कहा गया है, के मध्य निम्न वर्णित शर्तों/प्रावधानों के अध्यधीन संपन्न हुआ है।

अतः RSOS. ने निविदा सूचना दिनांक पाठ्यसामग्री एवं उत्तर पुस्तिकाओं के जिले के संदर्भ केन्द्रों एवं परीक्षा केन्द्रों तक परिवहन हेतु दिनांक को केन्द्र पर मध्याह्न बजे तक निविदाए आमंत्रित की थी और परिवहनकर्ता फर्म श्री ने इस कार्य हेतु अपनी निविदा प्रस्तुत की तथा उनकी दर वित्तीय वाली के अनुसार निर्धारित संदर्भ केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने बाबत् अनुमोदित किया गया है जो इस अनुबन्ध का पार्ट है। (संलग्न प्रपत्र 'अ')

यह इकरारनामा साक्षी है और उभयपक्ष निम्नांकित शर्तों को स्वीकार करते हैं।

1. यह कि द्वितीय पक्ष, जिसे आगे परिवहनकर्ता कहा गया है, समस्त संदर्भ केन्द्रों एवं परीक्षा केन्द्रों पर पाठ्यपुस्तकों एवं उत्तरपुस्तिकाओं का परिवहन अपने वाहनों द्वारा करेगा एवं परिवहनकर्ता यह परिवहन ठेका किसी अन्य ट्रॉन्सपोर्टर एजेन्ट या फर्म को हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा पाया जाएगा तो अनुबन्ध निरस्त कर परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।
2. यह कि संपूर्ण परिवहन कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। अर्थात् पाठ्यसामग्री एवं उत्तरपुस्तिका प्राप्ति के 15 दिन की अवधि में करना होगा।
3. यह कि निविदा प्रपत्र मय निविदा की शर्तें जिस पर परिवहनकर्ता द्वारा अपनी दर दी गई है वह इस अनुबन्ध का पार्ट है तथा समस्त कार्य के निष्पादन हेतु यह वैद्य एवं मान्य होंगी।
4. यह कि परिवहनकर्ता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि रूपये जो रसीद संख्या दिनांक रूपये से जमा कराई है यह राशि संतोषप्रद कार्य समाप्ति उपरान्त लौटाई जायेगी। कार्य को निर्धारित अवधि में भली प्रकार पूर्ण करने में असफल रहने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी एवं RSOS. को होने वाली हानि की पूर्ति संबंधित परिवहनकर्ता से की जाएगी। इस संबंध में अध्यक्ष निष्पादक मण्डल RSOS. का निर्णय अंतिम होगा।
5. यह है कि परिवहन ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल पर पैन नं. अंकित होना आवश्यक है। पैन नं. के अभाव में परिवहनकर्ता के बिल से नियमानुसार 20% आयकर की कटौती की जायेगी।
6. यह कि इकरारनामे व अनुबन्ध के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर शहर होगा।
7. विलम्ब के लिए निम्नानुसार लिकिवडेटैड डेमेजेज भी वसूल किया जायेगा।
 1. निर्धारित अवधि में चौथाई अवधि तक विलम्ब होने पर 2.5 प्रतिशत।
 2. चौथाई अवधि से अधिक तथा अधी अवधि तक विलम्ब होन पर 5 प्रतिशत
 3. आधी अवधि से तीन चौथाई अवधि तक विलम्ब होन पर 7.5 प्रतिशत
 4. तीन चौथाई अवधि से निर्धारित अवधि के बाराबर तथा अधिक होने पर अधिकतम 10 प्रतिशत।
8. निविदा में वर्णित शर्तें जो इस इकरारनामे के साथ संलग्न हैं, इस इकरारनामे का अंग मानी जायेगी और इकरारनामा करने वाले पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होंगी।
9. परस्पर सहमति के द्वारा इकरारनामे को आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

10. भुगतान की शर्तें –

- क. परिवहन कार्य पूर्ण हो जाने पर ठेकेदार 5 दिवस में अपने परिवहन कार्य के बिल एवं बिलिंग्यां मय सामग्री प्राप्ति रसीद जिसमें संदर्भ केन्द्र प्रभारी/परीक्षा केन्द्र प्रभारी का पदनाम एवं सील दिनांक सहित अंकित हो 3 प्रतियों में इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। सामग्री सही/समुचित रूप से पहुंचाने की संतुष्टि के पश्चात् ही बिलों का भुगतान किया जायेगा।
- ख. कार्य सन्तोषप्रद ढंग से पूर्ण होने पर सामग्री की प्राप्ति रसीद ठेकेदार द्वारा बिल के साथ प्रस्तुत करने पर 80 प्रतिशत भुगतान कर दिया जायेगा। तथा शेष 20 प्रतिशत भुगतान कार्य पूर्ण होने पर किया जाएगा। ठेकेदार के भुगतान से स्त्रोत पर आयकर की कटौती आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिल पर की जाएगी। बिल

पर पेन नम्बर अंकित नहीं होने एवं पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न नहीं होने की दशा में 20% आयकर की कटौती कर ली जाएगी।

अतः यह इकारारनामा दोनों पक्षकारों ने अपने होश—हवाश में बिना किसी दवाब के सुनकर पढ़कर लिख दिया है व हस्ताक्षर किये हैं ताकि सनद् रहे व वक्त काम आए।

प्रथम पक्ष		द्वितीय पक्ष
निदेशक राज. स्टेट ओपन स्कूल जयपुर		मैसर्स
1.		पता
2.		1 2
गवाह—		गवाह—
1.		1.
2.		2.



राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)
एकलव्य भवन

डॉ० एस० राधाकृष्णन्, शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
फोन:-5150938, फैक्स :-0141-2705067

website:<http://www.rsos.rajasthan.gov.in>

e-mail:rajasthansos@gmail.com

ई-निविदा सूचना संख्या 05 वर्ष 2016-17

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा परिवहन कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा की अनुमानित लागत :	लगभग 30 लाख रुपये
ऑनलाईन निविदा फार्म डाउनलोड करने की दिनांक	16.12.2016 से 02.01.2017 तक समय:- सांय 3:00 बजे http://www.rsos.rajasthan.gov.in
ऑनलाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनांक	16.12.2016 से 02.01.2017 तक समय:- सांय 5:00 बजे
अमानत राशि एवं टैण्डर फीस का डी.डी., निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के पक्ष में एवं प्रक्रिया शुल्क का डी.डी. मैनेजिंग डॉयरेक्टर आर.आई. एस.एल, जयपुर के पक्ष में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय।	02.01.2017 को समय:- सांय 5:00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	03.01.2017 को अपराह्न 3:00 बजे

यह निविदा ऑनलाइन सिंगल बिड पद्धति से आमंत्रित की जाकर निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, के कार्यालय में उपर्युक्तानुसार निर्धारित तिथि को खोली जावेगी। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण एवं शर्तें वैबसाईट <http://www.rsos.rajasthan.gov.in> तथा <http://www.sppp.raj.nic.in> पर देखी जा सकती हैं एवं <http://eproc.rajasthan.gov.in> से निविदा प्रपत्र अपलोड किये व देखे जा सकते हैं।

Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Signature Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.

निदेशक